कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.18 ( ) लेखा/आनिद/प्रमुवसं/6731 दिनांकः–27/11/2017

परिपत्र

विभागीय आन्तरिक जांच दलों के द्वारा गठित आक्षेपों के आधार पर यह ध्यान में आया है कि वन विकास कार्यों हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं सेवाओं का उपापन क्षेत्रिय वन अधिकारी स्तर पर किया जा रहा है। क्षेत्रिय वन अधिकारी स्तर पर कोटेशन/सीमित बिड/खुली निविदा तक आमन्त्रित की जा रही है एवं आमन्त्रित बिड से प्राप्त दरों का अपने स्तर पर ही तुलनात्मक विवरण बनाकर के न्यूनतम दर वाली फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश/ आपूर्ति आदेश दिये जा रहे है। भुगतान के समय ऐसे निविदाओं को खण्ड कार्यालय को बिलों के साथ प्रस्तुत किया जाता है तथा भुगतान पारित करते समय कुछ–कुछ मामलों में उप वन संरक्षक द्वारा उन पर प्रति हस्ताक्षर करके भुगतान कर दिया जाता है तथा कुछ मामलों में उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर भी नहीं किये जाते है। यह प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में दिए गये प्रावधानों की अवहेलना करना धारा 41 व 42 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

राज्य सरकार द्वारा माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 लागू किये है जो दिनांक 26 जनवरी, 2013 से प्रवृत हैं यह अधिनियम, इसी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार समस्त उपापन संस्थाओं पर लागू है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपापन संस्था को अधिनियम की धारा 3(2) में वर्णित किया गया है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 के तहत प्रत्येक उपापन संस्था उपापन हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ एक उपापन समिति का गठन करेगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा8(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगी जिसके पास आवश्यक वित्तीय शक्तियां हो तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 11 के अनुसार उपापन संस्था के पास विषय वस्तु के उपापन के लिए उसे प्रत्यायोजित आवश्यक वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए।

उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार क्षेत्रिय वन अधिकारी को राज्य सरकार के पत्रांक एफ 7(27)वन/1995 दिनांक 30.04.2009 के द्वारा जारी शक्तियों के प्रदत्तीकरण की अनुसूची (SOP) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–III में किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं की हुई है। इस प्रकार क्षेत्रिय वन अधिकारियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होने एवं इनका कार्यालय उपापन संस्था नहीं होने के कारण इनके स्तर से वन विकास एवं अन्य कार्यों हेतु की जा रही उपापन प्रक्रिया उक्त अधिनियम एवं नियमों का उल्लघंन है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं खण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रिय वन अधिकारियों के स्तर पर की जा रही उपापन प्रक्रिया को अविलम्ब बन्द किया जावे तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करें।

Sd/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.18 ( ) लेखा/आनिद/प्रमुवसं/ 6732-832 दिनांकः– 27.11.17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, FTI,जयुपर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP/विभागीय कार्य/सिल्वा, जयपुर।
3. अप्रमुवसं/मुख्य वन संरक्षक,जयपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतुपर।
4. अप्रमुवसं/मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर/रणथम्भौर बाघ परियोजना, स. मोधोपुर/बाघ परियोजना, सरिस्का, अलवर।
5. मुख्य वन संरक्षक, RVP,कोटा/बनास, जयपुर।
6. समस्त उप वन संरक्षक/वनाधिकारी।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा अरण्य भवन को विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकर
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

9